

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NO/PWE/94-30/PEN/CIRCULAR/ES-I- 17084-17184 Dated- 23/11/19

From-


Engineer-in-Chief,
HPPWD Shimla-2.

To

All the Chief Engineers, HPPWD .
All the Superintending Engineers in HPPWD.
All the Executive Engineers/L.A.Os in HPPWD.

Subject:- Notification.


I am directed to enclose herewith a copy of Notification No. Fin.(Pen) A(3)-1/2009- Dated 24/09/2019 received from Special Secretary (Finance) to the Government of H.P. regarding New Pension Scheme for information and taking further necessary action please.
Encl-As above.


(Inder Chauhan)
Supdt. Gr.-I,
O/O the Engineer -in-Chief,
HP.PWD.Shimla-2.

Copy to Nodal Officer (I.T.) in this office for information. He is requested to get upload above instructions of the Government on the website of HPPWD of this office please.

Copy to Chief Architect HPPWD in this Office for information.

Copy to Superintendent Cash Section/ All Heads of the branches in this office for information.


(Inder Chauhan)
Supdt. Gr.-I,
O/O the Engineer -in-Chief,
HP.PWD.Shimla-2.

Fr
← JVA (IT)
upload the
EE(IT) same
23/11

[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin(Pen) A (3)-1/2009, dated 24/09 /2019 as required under clause(3)of article 348 of the Constitution of India]

Pr/Einc
ESI
11/10/19

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FINANCE (PENSION) DEPARTMENT**

No. Fin (Pen)A(3)-1/2009 Dated, Shimla-171002, 24/09 /2019

NOTIFICATION

5117
11/10/19

1. Whereas, the Government of Himachal Pradesh vide notification No. Fin(Pen)A(3)-1/96, dated 15.05.2003 modified the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in its application to the State of Himachal Pradesh and the said rules were made inapplicable to all appointments made in the State of Himachal Pradesh on or after 15.05.2003;

2. And whereas, while making the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 inapplicable to the appointments made on or after 15.05.2003, the intention of the Government was to notify the Defined Contributory Pension Scheme (also called New Pension System) for such Government servants;

central
updt
3
11/10/19

And whereas, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 308 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh was pleased to make the Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension Rules,

2139-1312006
4/10/19

for the Government servants of Himachal Pradesh, appointed on or after 15.05.2003;

4. And whereas, rule 4(28) of the Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension Rules, 2006 provides that as and when Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA) is constituted by the Government of India, the State Government may modify the orders and issue new directions

informatory
may
file for corr.

....3....

15. The Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission Shimla-2.
16. The Secretary, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
17. Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh, Shimla-5, for publication in the Gazette of Himachal Pradesh.
18. All the Controllers/ Joint Controllers/ Deputy Controllers/ Assistant Controllers/ Section Officers of Himachal Pradesh Finance and Accounts Service, Himachal Pradesh.
19. All the District Treasury Officers/ Treasury Officers Himachal Pradesh.
20. All the Section Officers, Finance Department, Himachal Pradesh, Secretariat, Shimla-2.



Special Secretary (Finance) to the
Government of Himachal Pradesh .

हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त(पेंशन)विभाग

संख्या: फिन (पेन)ए(3)-1/2009

तारीख,

शिमला-2,

24/09/2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या: फिन(पेन) ए(3)-1/96 तारीख 15-5-2003 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को उपांतरित किया और उक्त नियम 15-5-2003, को या इसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई समस्त नियुक्तियों के लिए अप्रयोज्य किए गए थे;

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को 15-5-2003 को या उसके पश्चात् की गई नियुक्तियों पर अप्रयोज्य करते समय, सरकार का आशय, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफांड कन्ट्रीब्यूट्री पेंशन स्कीम जिसे नई पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है को अधिसूचित करना था;

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15-5-2003 को या इसके पश्चात् नियुक्त हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2006 बनाया गया था;

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2006 का नियम 4 का उपनियम (28) उपबन्ध करता है कि जब भी भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी0 एफ0 आर0 डी0 ए0) का गठन कर लिया जाता है तो राज्य सरकार आदेशों को उपांतरित कर सकेगी और इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन स्कीम अर्थात् नई पेंशन प्रणाली हेतु नए निदेश और विनियम जारी कर सकेगी;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्याक 23) की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (4) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: फिन(पेंन) ए(3)-1/96 तारीख 17 अगस्त, 2006 में वर्णित समस्त कर्मचारियों को 15-5-2003 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करते हैं और निर्देश देते हैं कि यथासंशोधित उक्त अधिसूचना उक्त धारा 12(4) के अधीन अधिसूचित की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार
24 /09/2019

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

तारीख, शिमला-2,

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
2. प्रधान निजि सचिव, मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
5. प्रधान, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला -3
6. महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश, शिमला -3
7. पंजीयक, हि0प्र0 उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला -1
8. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
11. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश ।

.....3.....

13. रेजिडेंट कमिश्नर, हिमाचल प्रदेश हिमाचल भवन, 27-सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली-110001
14. समस्त प्रबन्ध निदेशक/पंजीयक/सचिव बोर्ड/ निगम / विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम /स्वायत निकाय/आयोग तथा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ।
15. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2.
16. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।
17. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
18. समस्त नियन्त्रक/संयुक्त-नियन्त्रक/उप-नियन्त्रक/सहायक-नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा।
19. समस्त जिला कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
20. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2



विशेष सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।